

અધ્યાય 2

બજટીય પ્રબંધન

अध्याय 2: बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय हरियाणा की बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा करता है, जिसमें बजट अनुमानों और वास्तविक व्यय के बीच महत्वपूर्ण अंतर का पता चलता है, जिसमें अतिरिक्त खर्च, सतत बचत और अंतिम समय में निधि के सरेंडर जैसे मामले शामिल हैं। यह वित्तीय योजना, नियंत्रण और अनुपालन में कमजोरियों पर प्रकाश डालता है, वास्तविक बजट और समय पर निधि के उपयोग की आवश्यकता पर बल देता है।

2.1 बजट प्रक्रिया

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुपालन में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, उस वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण, जिसे "वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)" कहा जाता है, राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। व्यय के अनुमान 'प्रभारित' और 'दत्तमत' मर्दों¹ के व्यय को अलग-अलग दर्शाते हैं और अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को भिन्न करते हैं। राज्य सरकार द्वारा कोई भी व्यय करने से पूर्व विधायी प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है।

हरियाणा द्वारा अपनाई गई पंजाब बजट नियमावली के अनुसार वित्त विभाग, विभिन्न विभागों से अनुमान प्राप्त करके वार्षिक बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। प्राप्तियों और व्यय के विभागीय अनुमान नियंत्रण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्षों के परामर्श पर तैयार किए जाते हैं और निर्धारित तिथियों पर वित्त विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। वित्त विभाग इन अनुमानों को समेकित करता है और विस्तृत अनुमान तैयार करता है जिसको 'अनुदानों की मांग' कहते हैं। राज्य बजट में मुख्य रूप से निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होते हैं।

- | | |
|--|----------------------------------|
| ✓ वार्षिक वित्तीय विवरण | ✓ मध्यम अवधि राजकोषीय नीति |
| ✓ अनुदान की मांग | विवरणी |
| ✓ मध्यम अवधि राजकोषीय नीति | ✓ राजकोषीय नीति का अवलोकन |
| विवरणी | ✓ पूंजीगत व्यय के विस्तृत अनुमान |
| ✓ राजस्व प्राप्तियों के लिए विस्तृत अनुमान | ✓ राजस्व व्यय के विस्तृत अनुमान |
| | ✓ अन्य |

2.2 बजट अनुमान तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर

संसाधनों के इष्टतम उपयोग, योजना कार्यान्वयन और निगरानी क्षमता को सुदृढ़ करने तथा राजकोषीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। राज्य विधानमंडल से प्राप्त कुल विनियोग, वास्तविक व्यय और बचत का विवरण **तालिका 2.1** में संक्षेप में दिया गया है।

¹ **प्रभारित व्यय:** व्यय की कुछ श्रेणियां (उदाहरण: संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, ऋण भुगतान, आदि) राज्य की समेकित निधि पर एक प्रभार का गठन करते हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होते हैं। **दत्तमत व्यय:** अन्य सभी प्रकार के व्यय पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

तालिका 2.1: वर्ष 2024-25 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	2024-25 के दौरान अभ्यर्पित	
							राशि	प्रतिशतता
दत्तमत	I राजस्व	1,11,063.73	6,879.82	1,17,943.55	1,03,039.09	(-) 14,904.46	31,884.47	(-) 213.93
	II पूंजीगत	31,920.94	1,822.45	33,743.39	26,384.74	(-) 7,358.65	9,029.56	(-) 122.71
	III ऋण एवं अग्रिम	5,095.11	240.01	5,335.12	3,161.48	(-) 2,173.64	2,173.82	(-) 100.01
	कुल दत्तमत	1,48,079.78	8,942.28	1,57,022.06	1,32,585.31	(-) 24,436.75	43,087.85	(-) 176.32
प्रभारित	IV राजस्व	25,489.89	0.21	25,490.10	24,515.32	(-) 974.78	3,035.05	(-) 311.36
	V पूंजीगत	100.00	0.00	100.00	83.88	(-) 16.12	19.51	(-) 121.03
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	64,044.20	0.00	64,044.20	57,540.25	(-) 6,503.95	0	0.00
	कुल प्रभारित	89,634.09	0.21	89,634.30	82,139.45	(-) 7,494.85	3,054.56	(-) 40.76
कुल योग		2,37,713.87	8,942.49	2,46,656.36	2,14,724.76	(-) 31,931.60	46,142.41	(-) 144.50

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे।

नोट: ऊपर दर्शाए गए व्यय सकल आंकड़े हैं जिनमें लेखों में दर्शाई गई कटौती के रूप में वसूलियाँ राजस्व शीर्ष (₹ 1,705.12 करोड़) और पूंजीगत शीर्ष (₹ 13,988.58 करोड़) की परिगणना नहीं की गई।

बड़ी मात्रा में सरेंडर यह दर्शाते हैं कि नियंत्रण अधिकारी अंतिम सरेंडर से पहले वास्तविक व्यय के आंकड़ों की निगरानी या मिलान नहीं कर रहे हैं और यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण का संकेत है।

2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए मूल बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय में प्रवृत्तियाँ तालिका 2.2 में दी गई हैं।

तालिका 2.2: 2020-25 के दौरान मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

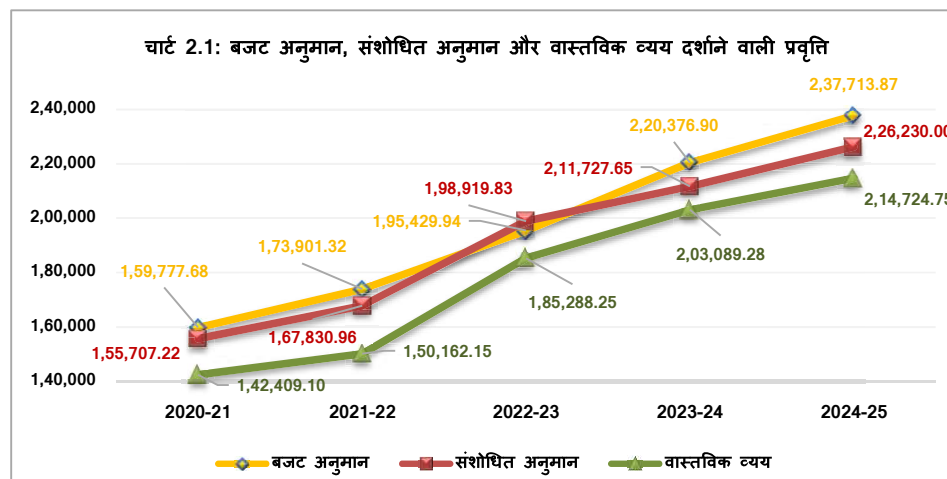
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
मूल बजट	1,59,777.68	1,73,901.32	1,95,429.94	2,20,376.90	2,37,713.87
अनुपूरक बजट	20,227.16	21,788.12	25,680.13	16,183.17	8,942.49
कुल बजट (टीबी)	1,80,004.84	1,95,689.44	2,21,110.07	2,36,560.07	2,46,656.36
संशोधित अनुमान (आरई)	1,55,707.22	1,67,830.96	1,98,919.83	2,11,727.65	2,26,230.00
वास्तविक व्यय (एई)	1,42,409.10	1,50,162.15	1,85,288.25	2,03,089.28	2,14,724.75
बचत	(-) 37,595.74	(-) 45,527.29	(-) 35,821.82	(-) 33,470.79	(-) 31,931.61
मूल प्रावधान से अनुपूरक की प्रतिशतता	12.66	12.53	13.14	7.34	3.76
समय बचत/समय प्रावधान से अधिक की प्रतिशतता	(-) 20.89	(-) 23.27	(-) 16.20	(-) 14.15	(-) 12.95
कुल बजट - संशोधित अनुमान	24,297.62	27,858.48	22,190.24	24,832.42	20,426.36
संशोधित अनुमान - वास्तविक व्यय	13,298.12	17,668.81	13,631.58	8,638.37	11,505.25
(कुल बजट - संशोधित अनुमान) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	13.50	14.24	10.04	10.50	8.28
(संशोधित अनुमान - वास्तविक व्यय) कुल बजट के प्रतिशत के रूप में	7.39	9.03	6.17	3.65	4.66

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण और विनियोग लेखे।

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 8,942.49 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान मूल प्रावधान का 3.76 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष यह 7.34 प्रतिशत था। यह दर्शाता है कि 2024-25 में अनुपूरक प्रावधान पर निर्भरता कम हुई है। इसी प्रकार, बचत में भी गिरावट देखी गई, जो कि 2020-21 में ₹ 37,595.74 करोड़ से घटकर 2024-25 में ₹ 31,931.61 करोड़ रह गई।

राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 में राजस्व, पूंजीगत, और ऋण एवं अग्रिमों के लिए ₹ 2,46,656.36 करोड़ (मूल बजट ₹ 2,37,713.87 करोड़ + अनुपूरक बजट ₹ 8,942.49 करोड़) का कुल बजट तैयार किया, जिसे संशोधित कर ₹ 2,26,230 करोड़ कर दिया गया और

वास्तविक व्यय ₹ 2,14,724.75 करोड़ हुआ। मूल बजट, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय की वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की प्रवृत्ति चार्ट 2.1 में दर्शाई गई है।



2020-21 से 2024-25 की अवधि के दौरान, संशोधित अनुमान कुल बजट से लगातार कम रहे जो बजट निर्माण के दौरान राजस्व या संसाधनों की उपलब्धता के अत्यधिक अनुमान का संकेत है। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया था कि मूल और अनुपूरक विनियोगों के माध्यम से विधायिका से प्राप्त कुल बजट और संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक व्यय के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है।

यह इंगित करता है कि बजटीय आवंटन उन प्रस्तावों पर आधारित थे जो पूरी तरह से वास्तविक नहीं थे, क्योंकि राज्य के बजट अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किए गए थे और वास्तविक व्यय बजटीय प्रावधानों से कम था।

2.2.1 बजटीय प्रावधानों और व्यय का घटक/सेवा-वार विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट और व्यय का घटक-वार विश्लेषण तालिका 2.3 में संक्षेप में दिया गया है। विनियोग लेखा में भिन्नता के मामले में प्राप्त स्पष्टीकरणों का सारांश चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2024-25 के लिए घटकवार बजट और व्यय

घटक	कुल बजट	कुल व्यय	कुल बजट का प्रतिशत	कुल व्यय का प्रतिशत	कुल बजट की तुलना में व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6=3/2*100
प्रतिबद्ध व्यय	71,366.16	69,203.52	36.58	50.03	96.97
राज्य योजना (एसएस)	1,85,218.20	1,32,747.41	94.93	95.96	71.67
केंद्र साझाकरण योजनाएं (सीएसएस) (केंद्रीय हिस्सेदारी)	9,896.11	5,581.91	5.07	4.04	56.41
ईएपी-बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	90.37	90.37	0.05	0.07	100.00

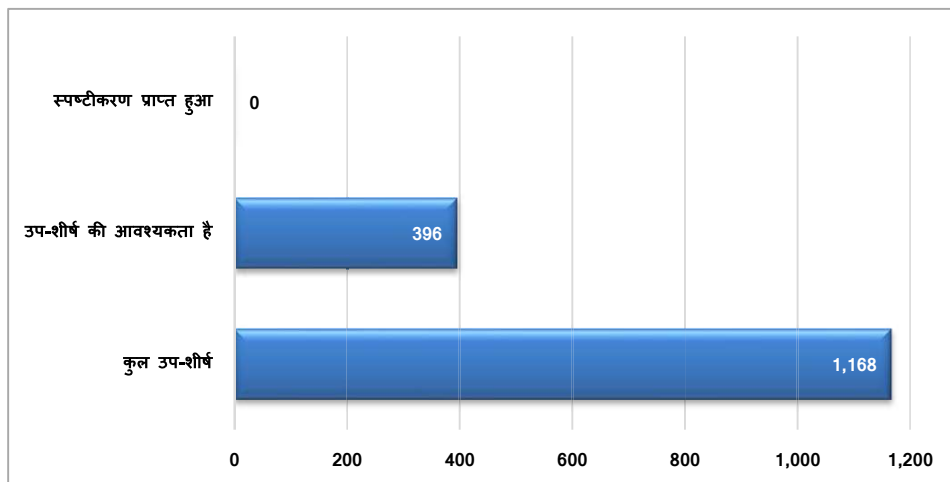
वर्ष 2024-25 के दौरान कुल ₹ 1,95,114² करोड़ के बजट प्रावधान की तुलना में ₹ 1,38,329³ करोड़ (70.90 प्रतिशत) का व्यय हुआ। प्रतिबद्ध व्यय ने 96.97 प्रतिशत का

² ₹ 1,95,114 करोड़ = ₹ 1,85,218 करोड़ (राज्य योजना) + ₹ 9,896 करोड़ (केंद्र साझाकरण योजनाएं)।

³ ₹ 1,38,329 करोड़ = ₹ 1,32,747 करोड़ (राज्य योजना) + ₹ 5,582 करोड़ (केंद्र साझाकरण योजनाएं)।

उच्च उपयोग दर्शाया। इसी प्रकार, राज्य योजनाओं (केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य के हिस्से सहित), जो बजट का प्रमुख हिस्सा बनाती हैं, ने 95.96 प्रतिशत उपयोगिता दर्ज की, और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं ने पूर्ण उपयोगिता (100 प्रतिशत) प्राप्त की। समग्र उपयोगिता राज्य योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत यथोचित संतोषजनक खर्च और बचत का संकेत देती है।

चार्ट 2.2: विनियोग लेखा में भिन्नता के स्पष्टीकरण का सारांश

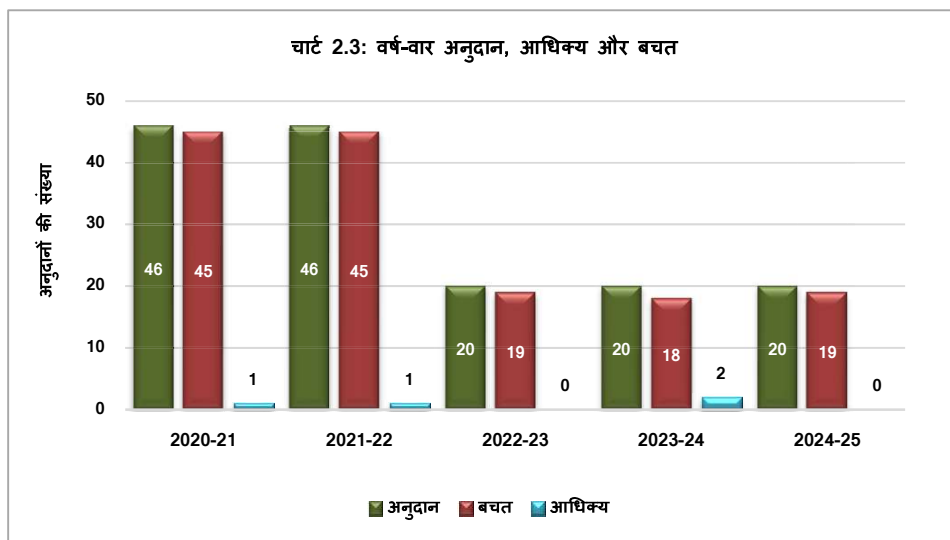


स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा के कार्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

2.3 बजट मार्क्समैनशिप

व्यय संरचना परिणाम यह मापता है कि बजट के निष्पादन के दौरान मुख्य श्रेणियों के बीच किए गए पुनः आवंटन ने व्यय संरचना के विचलन में किस सीमा तक योगदान दिया है।

अनुदानों, आधिक्यों और बचतों का वर्ष-वार विश्लेषण राज्य द्वारा बजट निष्पादन और वित्तीय प्रबंधन की दक्षता में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसे चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है।



स्रोत: विनियोग लेखा।

पिछले तीन वर्षों में वर्ष के अंत में बचत वाले अनुदानों की संख्या लगभग स्थिर रही है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसी भी अनुदान में प्राधिकार से अधिक व्यय नहीं हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए व्यय संरचना परिणाम **तालिका 2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4: व्यय संरचना का कुल विचलन, वित्तीय वर्ष 2024-25

सेक्शन	कुल विचलन (प्रतिशत)	विचलन की सीमा (प्रतिशत)	अनुदानों की संख्या
राजस्व (दत्तमत)	(-) 12.64	0 से $\pm$ 25	12 ⁴
		$\pm$ 25 से $\pm$ 50	5 ⁵
		$\pm$ 50 से $\pm$ 100	0
पूंजीगत (दत्तमत)	(-) 24.39	0 से $\pm$ 25	4 ⁶
		$\pm$ 25 से $\pm$ 50	6 ⁷
		$\pm$ 50 से $\pm$ 100	7 ⁸
राजस्व (भारित)	(-) 3.75	0 से $\pm$ 25	5 ⁹
	(-) 39.77	$\pm$ 25 से $\pm$ 50	2 ¹⁰
	(-) 65.72	$\pm$ 50 से $\pm$ 100	4 ¹¹
पूंजीगत (भारित)	(-) 10.15	0 से $\pm$ 25	2 ¹²
	(-) 45.00	$\pm$ 25 से $\pm$ 50	1 ¹³
	0	$\pm$ 50 से $\pm$ 100	0
हालांकि, राजस्व दत्तमत के तीन अनुदानों (अनुदान संख्या 7, 8, 9) और पूंजीगत सेक्शन के तीन अनुदानों (अनुदान संख्या 2, 8, 9) के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।			

समग्र व्यय में राजस्व (दत्तमत) में 12.64 प्रतिशत और पूंजीगत (दत्तमत) में 24.39 प्रतिशत की कमी देखी गई, जिसमें कई अनुदान ± 25 प्रतिशत से अधिक विचलित हुए, जो कमजोर अनुमान और प्राथमिकता निर्धारण का संकेत है। राजस्व (भारित) में 3.75 प्रतिशत का मध्यम विचलन दर्ज किया गया, हालांकि कुछ अनुदानों में 71.61 प्रतिशत तक का बड़ा अंतर देखा गया। पूंजीगत (भारित) ने 45 प्रतिशत का विचलन दर्शाया, जो पूर्वानुमान में कमियों को दर्शाता है।

2.4 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न सूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजन के लिए दिए गए प्रभारित और दत्तमत विनियोग अनुदानों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं। इन लेखों में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदानों, सरेंडर और सकल आधार पर पुनर्विनियोग की तुलना में वास्तविक व्यय को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।

⁴ अनुदान संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18 और 19.

⁵ अनुदान संख्या 3, 10, 11, 13 और 20.

⁶ अनुदान संख्या 11, 14, 19 और 20.

⁷ अनुदान संख्या 5, 6, 10, 12, 17 और 18.

⁸ अनुदान संख्या 1, 3, 4, 7, 13, 15 और 16.

⁹ अनुदान संख्या 2, 5, 6, 11 और 20.

¹⁰ अनुदान संख्या 3 और 18.

¹¹ अनुदान संख्या 1, 10, 14 और 17.

¹² अनुदान संख्या 8 और 17.

¹³ अनुदान संख्या 19.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न अनुदानों के तहत वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत दिए गए प्राधिकार के अनुसार है, और यह कि संविधान (अनुच्छेद 202) के प्रावधानों के तहत जो व्यय भारित होना चाहिए, उसे तदनुसार ही भारित किया गया है। यह यह भी सुनिश्चित करता है कि किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

2.5 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया

लेखापरीक्षा ने समीक्षा के लिए अनुदान संख्या 12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्चतर, तकनीकी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)/महिला एवं बाल विकास से पांच विभागों¹⁴ और अनुदान संख्या 17-लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)/परिवहन/नागरिक उड्डयन से दो विभागों¹⁵ का चयन किया। इन दो चयनित अनुदानों के बजट और व्यय की समीक्षा के परिणामों पर क्रमशः अनुच्छेद संख्या 2.5.2 से 2.5.4 और अनुच्छेद संख्या 2.5.6 एवं 2.5.7 में चर्चा की गई है।

2.5.1 अतिरिक्त व्यय और इसका नियमितीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 के अनुसार, राज्य की समेकित निधि से कोई भी राशि तब तक नहीं निकाली जाएगी, जब तक कि उक्त अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा विनियोग न किया गया हो। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, राज्य सरकार के लिए प्राधिकार से अधिक हुए व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमित कराना अनिवार्य है। यद्यपि इस अनुच्छेद के तहत व्यय के नियमितीकरण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखों पर चर्चा पूरी होने के बाद किया जाना होता है।

क. चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त व्यय

वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी अनुदान या विनियोग के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा किए गए प्राधिकार से अधिक कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया था।

ख. पिछले वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त व्यय का नियमितीकरण

राज्य विधानमंडल से नियमितीकरण के लंबित पिछले वर्षों से संबंधित अतिरिक्त संवितरण **तालिका 2.5** में दर्शाए गए हैं।

¹⁴ (i) प्राथमिक शिक्षा विभाग, (ii) माध्यमिक शिक्षा विभाग, (iii) उच्च शिक्षा विभाग, (iv) तकनीकी शिक्षा विभाग और (v) महिला एवं बाल विकास विभाग।

¹⁵ (i) परिवहन विभाग और (ii) लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)।

तालिका 2.5: पिछले वर्ष (2023-24) से संबंधित अतिरिक्त व्यय का विवरण जिसमें नियमितीकरण की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
1	अनुदान संख्या 8- लोक ऋण (पूँजीगत-भारित)				
	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	57,607.43	58,984.20	1,376.77
	6004	केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	251.94	210.00	(-) 41.94
		कुल	57,859.37	59,194.20	1,334.83
2	अनुदान संख्या 18-सूचना और प्रचार/इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी/मुद्रण और लेखन-सामग्री (राजस्व-भारित)				
	2058	लेखन-सामग्री और मुद्रण	0.32	0.73	0.41
		कुल	0.32	0.73	0.41
		कुल योग	57,859.69	59,194.93	1,335.24

स्रोत: विनियोग लेखा।

राज्य की समेकित निधि से होने वाले व्यय पर विधायी निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, इन अतिरिक्त व्ययों को यथाशीघ्र नियमित किए जाने की आवश्यकता है और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के अतिरिक्त व्यय की पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए।

राज्य सरकार ने 2021-22 तक के अतिरिक्त व्यय को नियमित कर दिया है।

2.5.2 अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध होना

संविधान का अनुच्छेद 205 मूल प्रावधानों से अधिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग की आवश्यकता निर्धारित करता है।

यह देखा गया कि 20 मामलों में (परिशिष्ट 2.1) यद्यपि ₹ 5,671.41 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान किए गए थे, लेकिन व्यय वर्ष 2024-25 के दौरान मूल प्रावधानों के स्तर तक नहीं आया। इसी प्रकार, तीन मामलों में ₹ 3,268.85 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ (परिशिष्ट 2.2) क्योंकि अनुपूरक प्रावधानों की पूरी राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

अनुदान संख्या 12 के तहत चयनित विभागों¹⁶ के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा

अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदानों का विवरण तालिका 2.6 में दिया गया है।

¹⁶ (i) प्राथमिक शिक्षा विभाग, (ii) माध्यमिक शिक्षा विभाग, (iii) उच्च शिक्षा विभाग, (iv) तकनीकी शिक्षा विभाग और (v) महिला एवं बाल विकास विभाग।

तालिका 2.6: अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का वर्गीकरण और नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय
अनावश्यक अनुपूरक अनुदान					
1	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) - सरकारी माध्यमिक विद्यालय (2202-02-109-86)	500.00	91.13	591.13	426.69
2	चाइल्ड हेल्पलाइन (2235-02-102-62)	0.00	14.88	14.88	0.00
3	एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाएं (डब्ल्यूसीडी) (2235-02-102-92)	780.00	15.00	795.00	774.79
4	पोषण अभियान के लिए योजना (2236-80-102-99)	26.40	27.02	53.42	0.00
5	आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण- राज्य का योगदान (4235-02-102-99-98)	35.00	3.00	38.00	9.99
	कुल	1,341.40	151.03	1,492.43	1,211.47
अत्यधिक अनुपूरक अनुदान					
6	सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99)	550.00	115.80	665.80	593.89
7	अनुसूचित जाति घटक के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (2202-02-793-98)	89.24	24.37	113.61	113.57
8	मातृ एवं शिशु कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु बहु-क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम योजना (2236-02-101-87)	150.00	40.00	190.00	150.63
9	पूरक पोषण कार्यक्रम (2236-02-101-95)	111.30	84.48	195.78	170.50
	कुल	900.54	264.65	1,165.19	1,028.59
अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान					
10	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-793-99)	140.00	35.65	175.65	181.68
11	मुख्यालय (डब्ल्यूसीडी) के लिए स्टाफ - स्थापना व्यय (2235-02-001-97-98)	13.33	1.86	15.19	18.09
12	अनुसूचित जातियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (2236-02-789-98-51)	50.00	10.00	60.00	140.16
	कुल	203.33	47.51	250.84	339.93

पांच मामलों में ₹ 151.03 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया। चार मामलों में, ₹ 264.65 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि यह कुल आवश्यकता से अधिक था। दूसरी ओर, तीन मामलों में ₹ 47.51 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर दिया (जुलाई 2025) कि वर्ष 2023-24 के दौरान आकस्मिकता निधि से दी गई राशि को केंद्र प्रायोजित योजना 'समग्र शिक्षा' के मिलान हिस्से के लिए प्रतिपूर्ति करने के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया था। प्राथमिक शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभागों से उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2025)।

अनुदान संख्या 17 के तहत चयनित विभागों¹⁷ के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा

अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदानों का विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

¹⁷ लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) और परिवहन विभाग।

तालिका 2.7: अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदानों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का वर्गीकरण और नाम	मूल	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय
	अनावश्यक अनुपूरक अनुदान				
1	हरियाणा रोडवेज के तहत बस संचालन (3055-201-98)	2,312.81	57.70	2,370.51	2,278.77
	कुल	2,312.81	57.70	2,370.51	2,278.77
	अत्यधिक अनुपूरक अनुदान				
2	राज्य राजमार्गों के तहत सड़क कार्य (3054-03-337-51)	40.00	50.00	90.00	67.76
3	गुरुग्राम में पचगांव से जमालपुर होते हुए फरुखनगर तक 2-लेन सड़क का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण द्वारा निर्माण (5054-04-337-48-98)	0.00	8.41	8.41	8.22
4	गुरुग्राम में किलोमीटर 0 से 11.50 किलोमीटर तक (एमईएस) चौड़ीकरण (5.50 मीटर से 7.00 मीटर) सुदृढ़ीकरण और आईपीबी (आईपीबी - इंटरलॉकिंग पेंविंग ब्लॉक) कार्य (5054-04-337-48-99)	0.00	9.19	9.19	4.67
	कुल	40.00	67.60	107.60	80.65
	अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान				
5	सड़क निर्माण के तहत ग्रामीण सड़कें (3054-04-337-98)	400.00	310.00	710.00	841.23
6	सड़क निर्माण के तहत जिला सड़कें (3054-04-337-99)	40.00	60.00	100.00	112.76
	कुल	440.00	370.00	810.00	953.99

एक मामले में ₹ 57.70 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय, मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया। तीन मामलों में, ₹ 67.60 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ क्योंकि यह आवश्यकता से अधिक था। दूसरी ओर, दो मामलों में ₹ 370 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह दर्शाता है कि अनुपूरक प्रावधान किसी वास्तविक आकलन के बिना किए गए थे, जो कि निम्न-स्तरीय बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

2.5.3 निधियों का अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोग विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है जहां अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है। 2024-25 के दौरान, 20 अनुदानों (परिशिष्ट 2.3) के तहत ₹ 46,142.41 करोड़ के पुनर्विनियोग आदेश जारी किए गए थे। सभी पुनर्विनियोग आदेश 31 मार्च 2025 को जारी किए गए थे, जो स्पष्ट रूप से व्यय की सक्रिय निगरानी के अभाव को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 37 योजनाओं¹⁸ (परिशिष्ट 2.4) में, पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से प्रावधानों में की गई कटौती (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ से अधिक) अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि इन योजनाओं में अतिरिक्त व्यय हुआ था। छः योजनाओं¹⁹ में, प्रावधानों में की गई कटौती भी अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि पांच योजनाओं²⁰ में, प्रावधानों में की गई वृद्धि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि व्यय या तो मूल बजट प्रावधान के बराबर था या उस स्तर तक भी नहीं

¹⁸ परिशिष्ट 2.4 की क्रम संख्या 2 से 19, 22 से 30, 32, 35 से 40, 42, 44, 45 और 47

¹⁹ परिशिष्ट 2.4 की क्रम संख्या 33, 38, 48, 49, 52 और 55

²⁰ परिशिष्ट 2.4 की क्रम संख्या 1, 20, 21, 43 और 50

पहुंच पाया। इसी प्रकार, आठ योजनाओं²¹ में, प्रावधानों में की गई वृद्धि अपर्याप्त सिद्ध हुई, क्योंकि वास्तविक व्यय पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध कराई गई निधियों से अधिक था।

अनुदान संख्या 12 के तहत चयनित विभागों के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा

चयनित विभागों²² की योजना-वार बजट और व्यय की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 12 योजनाओं (**परिशिष्ट 2.5**) में, पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से प्रावधानों में की गई कटौती (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ से अधिक) अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि इन मामलों में अतिरिक्त व्यय हुआ था। इसके अतिरिक्त, दो योजनाओं (**परिशिष्ट 2.5**) में, प्रावधानों में की गई वृद्धि अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई क्योंकि व्यय मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाया।

अनुदान संख्या 17 के तहत चयनित विभागों के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा

चयनित विभागों (लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) और परिवहन विभाग) की योजना-वार बजट और व्यय की समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि 13 योजनाओं (**परिशिष्ट 2.6**) में, पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से प्रावधानों में की गई कटौती (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ से अधिक) अविवेकपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि इन मामलों में अतिरिक्त व्यय हुआ था। पांच योजनाओं में प्रावधानों में कटौती अपर्याप्त सिद्ध हुई क्योंकि व्यय मूल बजट प्रावधान के स्तर तक नहीं आया। तीन योजनाओं (**परिशिष्ट 2.6**) में, प्रावधानों में की गई वृद्धि अपर्याप्त सिद्ध हुई क्योंकि वास्तविक व्यय पुनर्विनियोग के माध्यम से प्रदान की गई निधियों से अधिक था।

इस प्रकार के उदाहरण निधियों की आवश्यकताओं का आकलन करने और बजटीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने में कमजोर वित्तीय योजना और अपर्याप्त निगरानी को दर्शाते हैं।

2.5.4 अप्रयुक्त राशि और सरेंडर किए गए विनियोग और/अथवा बड़ी बचतें/सरेंडर

बजट प्रस्तावों को व्यय की गुणवत्ता को संतुलित करने और बजटीय निधियों के कम उपयोग को कम करने के लिए उचित व्यय स्तरों के लिए अनुमानित व्यय को अनुकूलित करने का प्रयास करना चाहिए। खर्च करने वाली इकाइयों द्वारा समय पर सरेंडर, अनुमोदित बजट के भीतर इष्टतम पुनर्आवंटन के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है।

अनुदानों और विनियोगों के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2024-25 के दौरान पूंजीगत दत्तमत सेक्शन के तहत एक अनुदान (अनुदान संख्या 20-नगर एवं ग्राम आयोजना/शहरी संपदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास एवं पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी) में बचत (₹ 161.77 करोड़) (सरेंडर को छोड़कर) ₹ 100 करोड़ से अधिक थी।

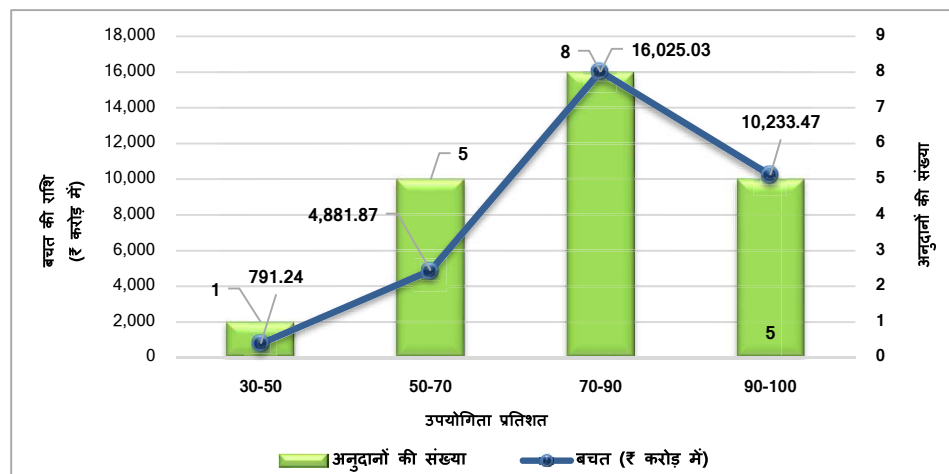
इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान 15 अनुदानों के तहत 26 मामलों में, प्रत्येक मामले (**परिशिष्ट 2.7**) में ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत हुई।

²¹ **परिशिष्ट 2.4** की क्रम संख्या 31, 34, 41, 46, 51, 53, 54 और 56

²² (i) प्राथमिक शिक्षा विभाग, (ii) माध्यमिक शिक्षा विभाग, (iii) उच्च शिक्षा विभाग, (iv) तकनीकी शिक्षा विभाग और (v) महिला एवं बाल विकास विभाग।

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल बचत के साथ-साथ उपयोग के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदानों का विवरण **परिशिष्ट 2.8** और **चार्ट 2.4** में दर्शाया गया है।

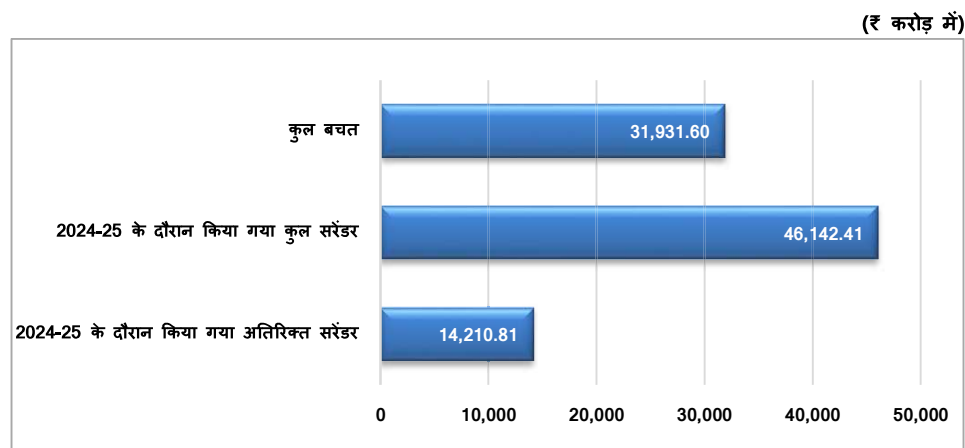
चार्ट 2.4: कुल बचत के साथ-साथ बचत के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या का वितरण



स्रोत: विनियोग लेखा।

05 अनुदानों और 02 विनियोगों के तहत ₹ 6,676.69 करोड़ की राशि की बचत (**परिशिष्ट 2.9**) को पूर्ण रूप से सरेंडर नहीं किया गया। मार्च 2025 के अंतिम दिन सरेंडर की गई बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) का विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिया गया है।

चार्ट 2.5: वर्ष 2024-25 के लिए बचत और सरेंडर



स्रोत: विनियोग लेखा।

₹ 31,931.60 करोड़ की वास्तविक बचत के विरुद्ध, पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से ₹ 46,142.41 करोड़ की राशि सरेंडर कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14,210.81 करोड़ (144.50 प्रतिशत) का अतिरिक्त सरेंडर हुआ। यह दर्शाता है कि नियंत्रण अधिकारी अंतिम सरेंडर से पहले वास्तविक व्यय के आंकड़ों की निगरानी या मिलान नहीं कर रहे हैं। यह अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है।

एग्जिट कॉन्फ्रेंस के दौरान, वित्त विभाग ने इस मामले की जांच करने और आगामी बजट निर्माण/तैयारी में आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया (19 फरवरी 2026)।

अनुदान संख्या 12 के अंतर्गत चयनित विभागों के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा

वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा 2024-25 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के लिए पत्र संख्या 2/5/2023-1बीएंडसी दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार, योजना-वार बजट प्रस्ताव वास्तविक होने चाहिए और विभाग की संभावित न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए।

चयनित विभागों²³ की 45 योजनाओं में, कुल प्रावधान की 12 से 100 प्रतिशत के बीच निरंतर बचत देखी गई, जो वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान अनुमानित वित्तीय परिव्यय को प्राप्त न करने, अकुशल योजना और अवास्तविक अनुमान का सूचक थी; इसका विवरण **परिशिष्ट 2.11** में दिया गया है।

2.5.5 राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण

सरकारी लेखा नियम, 1990 के नियम 30 के अनुसार, वह व्यय जिसके परिणामस्वरूप केवल मूर्त, भौतिक और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, उसे पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने छः अनुदानों के तहत ₹ 2,566.60 करोड़ को पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया था। लेखापरीक्षा ने इस दर्ज राशि से संबंधित स्वीकृति आदेशों और व्यय वाउचरों की जांच की। यह देखा गया कि ₹ 2,566.60 करोड़ की राशि (**परिशिष्ट 2.12**) विभिन्न विश्वविद्यालयों को दिए गए सहायता अनुदान/वित्तीय सहायता थी, जिसे ऋण के रूप में दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त, मूलधन और ब्याज की वसूली के संबंध में बिना किसी नियम और शर्तों के, इन्हें ऋण नहीं माना जा सकता था। सरकारी लेखा नियम 1990 के नियम 30(1) के नीचे दिए गए नोट के अनुसार, इस राशि को पूंजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। इसलिए, ₹ 2,566.60 करोड़ की राजस्व प्रकृति के व्यय को पूंजीगत व्यय के तहत दर्ज किया गया था।

इस प्रकार, ₹ 2,566.60 करोड़ का गलत वर्गीकरण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटे को कम करके आंका गया।

2.5.6 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और वास्तविक व्यय

वर्ष 2024-25 के दौरान बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और वास्तविक व्यय **तालिका 2.8** में दिए गए हैं, जिसमें यह स्पष्ट है कि ₹ 18,420.86 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध, 2024-25 के दौरान इन योजनाओं पर ₹ 15,402.91 करोड़ (83.62 प्रतिशत) का व्यय किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3,067.95 करोड़ की कुल बचत हुई। इसके अतिरिक्त, कुल 31 योजनाओं में से 16 योजनाओं में व्यय बजट प्रावधान के 50 प्रतिशत से कम था, जबकि चार योजनाओं में व्यय बजट प्रावधान से 10 प्रतिशत से अधिक रहा।

23

(i) प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग: 28 और (ii) महिला एवं बाल विकास विभाग: 17

तालिका 2.8: बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम और वर्गीकरण	मूल अनुमान	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)
1	मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत हैफेड को बाजार शुल्क और जीएसटी की प्रतिपूर्ति (2401-51-108-79-51)	300.00	75.00	(-) 225.00
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए योजना (2401-51-109-80)	120.00	0.98	(-) 119.02
3	फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए योजना (2401-51-108-83))	200.00	38.19	(-) 161.81
4	दीनबंद्यु हरियाणा ग्राम उदय योजना (4515-51-101-99)	100.00	5.60	(-) 94.40
5	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वच्छता के लिए योजना - सामान्य योजना (2515-51-102-93-99))	100.00	17.83	(-) 82.17
6	गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना (2403-51-102-69-51)	425.00	0.68	(-) 424.32
7	हिसार में स्वर्ण जयंती एकीकृत विमानन हब (5053-60-102-98-51)	450.00	411.96	(-) 38.04
8	पूरक पोषण कार्यक्रम (2236-02-101-95)	195.78	170.50	(-) 25.28
9	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (2401-51-111-90)	700.00	510.49	(-) 189.51
10	हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (4515-51-101-97)	624.00	499.93	(-) 124.07
11	गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के लिए योजना (2401-51-108-81)	200.00	39.16	(-) 160.84
12	कृषि यंत्रिकरण पर उप-मिशन (2401-51-109-78)	100.00	0.00	(-) 100.00
13	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - सामान्य योजना (2505-02-101-99-99)	400.00	223.80	(-) 176.20
14	एनआरडीडब्ल्यूपी- कवरेज केंद्रीय (4215-01-102-98-99)	526.00	213.27	(-) 312.73
15	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन- प्रति बूंद अधिक फसल (2705-51-190-94-51)	237.00	97.51	(-) 139.49
16	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को ऋण (6416-51-190-99-51)	672.00	636.51	(-) 35.49
17	नहरों और नालों पर पुलों एवं संरचनाओं का पुनर्निर्माण/नवीनीकरण/प्रतिस्थापन और निर्माण (4700-80-800-97)	200.00	122.91	(-) 77.09
18	सर्व शिक्षा अभियान (2202-01-111-99)	665.80	593.89	(-) 71.91
19	प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (2202-01-112-99)	608.05	437.66	(-) 170.39
20	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) (2202-02-109-86-51)	591.13	426.69	(-) 164.44
21	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी सामान्य) (2216-02-192-99)	150.00	1.04	(-) 148.96
22	सहकारी चीनी मिलों में बिजली सह-उत्पादन और इथेनॉल संयंत्र की स्थापना (6860-04-101-95-51)	200.00	0.00	(-) 200.00
23	ताजे पानी के मत्स्य पालन का विकास - पुनः नामित 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (पीएमएमएसवाई) (2405-51-101-72-51)	166.06	33.08	(-) 132.98
24	जल आपूर्ति हेतु अमृत-II का कार्यान्वयन (4215-01-101-93-51)	656.00	172.09	(-) 483.91
25	सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ) के तहत सूक्ष्म सिंचाई के दायरे के विस्तार हेतु संसाधनों का जुटाना (2705-51-188-99-51)	100.00	25.00	(-) 75.00
26	आरकेवीवाई का फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) घटक (2401-51-109-74-51)	300.00	124.95	(-) 175.05
कुल		8,986.82	4,878.72	(-) 4,108.10
1	हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण- राज्य योजना के लिए सड़कों का सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और सुधार (5054-03-337-88-99)	350.00	406.08	56.08
2	राज्य में सौर जल पंपिंग प्रणाली की स्थापना (2810-51-101-98)	1,000.00	1,257.50	257.50
3	पशु चिकित्सा संस्थानों को खोलना/उन्नयन और सुदृढीकरण (2403-51-101-62-51)	114.00	126.30	12.30
4	वृद्धावस्था सम्मान भता योजना (2235-60-102-98)	5,288.84	6,026.61	737.77
5	बेसहारा महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता (2235-60-102-96)	2,681.20	2,707.70	26.50
कुल		9,434.04	10,524.19	1,090.15
कुल योग		18,420.86	15,402.91	(-) 3,017.95

नोट: ओई: मूल अनुमान (मूल + अनुपूरक), एई: वास्तविक व्यय, एस: बचत और ई: आधिक्य

₹ 3,017.95 करोड़ की पर्याप्त बचत के कारण, राज्य सरकार बजट में कई सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं से संबंधित प्रमुख नीतिगत घोषणाओं के लिए निर्धारित निधियां खर्च करने में असमर्थ रही। संबंधित विभागों द्वारा बचत/आधिक्य के मुख्य कारण दावे/मांग की कम/अप्राप्ति, भारत सरकार से निधियों/केंद्रीय हिस्से की कम/गैर-प्राप्ति, बिलों को अंतिम रूप न देना, नए कार्यों की स्वीकृति एवं अधिक लाभार्थियों का नामांकन आदि थे।

इसके अतिरिक्त, 68 योजनाओं के तहत, **परिशिष्ट 2.13** में दिए गए विवरण के अनुसार, संशोधित परिव्यय में ₹ 4,248.33 करोड़ का बजट प्रावधान (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक) पूरी तरह से वापस ले लिया गया था।

अनुदान संख्या 12 के तहत चयनित विभागों²⁴ के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा।

अनुदान संख्या 12 की समीक्षा से पता चला कि 18 योजनाओं के तहत किया गया ₹ 273.32 करोड़ का बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ से अधिक) वर्ष (2024-25) के अंत तक अप्रयुक्त रह गया, जिसका विस्तृत विवरण **तालिका 2.9** में दिया गया है।

तालिका 2.9: अनुदान संख्या 12 के तहत अप्रयुक्त रहे संपूर्ण बजट प्रावधान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान
1.	2202-01-101-95-51-एन-वी- कक्षा VI-VIII (पूर्णकालिक) की सुविधाओं का विस्तार	20.00
2.	2202-01-199-99-51-एन-वी- पीएम श्री (भारत के उदय के लिए पीएम स्कूल) योजना	64.65
3.	2202-01-789-93 पीएम श्री (भारत के उदय के लिए पीएम स्कूल) योजना	7.50
4.	2202-02-110-98-51 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान (वैतन अनुदान)	3.00
5.	2202-04-200-97-51 साक्षर भारत योजना का नाम बदलकर पढ़ना-लिखना अभियान, जिसका नाम फिर से न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एनआईएलपी) रखा गया	10.00
6.	2203-51-105-55-51-एन-वी- पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास	1.20
7.	2203-51-105-82-51-एन-वी- वर्तमान पॉलिटेक्निक का आधुनिकीकरण	1.00
8.	2203-51-105-89-51-एन-वी- राज्य में नए सरकारी पॉलिटेक्निक की स्थापना	2.00
9.	2203-51-112-92-51-एन-वी- राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पंचकुला की स्थापना	10.00
10.	2235-02-102-69-51-एन-वी- राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्रेच योजना	20.00
11.	2235-02-102-73-51-एन-वी- एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का नाम बदलकर मिशन वात्सल्य कर दिया गया	55.00
12.	किशोरियों के लिए योजना [2236-02-101-89]	2.05
13.	पोषण अभियान के लिए योजना [पी-02-12-2236-80-102-99-51]	26.40
14.	4202-01-202-97-51 नाबार्ड के तहत सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूल भवनों का निर्माण	40.00
15.	4235-02-102-96-51-एन-वी- जेजेबी और सीडब्ल्यूसी (एसएपी) का निर्माण	5.50
16.	4235-02-102-99-99-एन-वी- आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण - नाबार्ड योगदान	1.00
17.	4235-02-103-95-51-एन-वी- ऑनर किलिंग का मुकाबला करने के लिए संरक्षण गृहों (सुरक्षा गृह) का निर्माण	3.00
18.	4235-02-103-96-51-एन-वी- महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर स्थापित करने हेतु भवन का निर्माण योजना	1.02
	कुल	273.32

इन योजनाओं के संपूर्ण बजटीय प्रावधान को पुनर्वियोजित कर दिया गया और इन योजनाओं के तहत कोई भी व्यय नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि उपर्युक्त

²⁴

(i) प्राथमिक शिक्षा विभाग, (ii) माध्यमिक शिक्षा विभाग, (iii) उच्च शिक्षा विभाग, (iv) तकनीकी शिक्षा विभाग और (v) महिला एवं बाल विकास विभाग।

18 योजनाओं में से चार योजनाएं²⁵ पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के दौरान लागू नहीं की गईं और तीन योजनाएं²⁶ 2023-24 और 2024-25 के दौरान भी लागू नहीं हुईं। संबंधित विभागों द्वारा गैर-उपयोग के मुख्य कारण इन योजनाओं के तहत दावों/मांगों की अप्राप्ति, भारत सरकार से अनुदान/हिस्सा प्राप्त न होना आदि बताए गए। चूंकि इनमें से कई योजनाओं में सामाजिक क्षेत्र का प्रमुख घटक शामिल है, इसलिए यह अनिवार्य है कि राज्य सरकार लक्षित राशि का आवंटन और उसकी स्वीकृति/उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए।

अनुदान संख्या 17 के तहत चयनित विभागों के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा

अनुदान संख्या 17 के तहत चयनित विभागों (लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) और परिवहन विभाग) की समीक्षा से पता चला है कि पांच योजनाओं के तहत किया गया ₹ 182.50 करोड़ का बजट प्रावधान (₹ एक करोड़ से अधिक) वर्ष (2024-25) के अंत तक अप्रयुक्त रह गया, जिसका विवरण तालिका 2.10 में दिया गया है।

तालिका 2.10: अनुदान संख्या 17 के तहत अप्रयुक्त रहे संपूर्ण प्रावधान का विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट प्रावधान
1.	3055-201-96 एफ-अन्य व्यय	125.50
2.	5054-04-101-84-97 नाबार्ड योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	15.00
3.	5054-04-337-47 राष्ट्रीय आवास बैंक की शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के अंतर्गत शहरी अवसंरचना का सृजन	10.00
4.	5054-04-337-49-99 पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़क के अंतर्गत अंबाला सकल सीएफसी में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन	22.00
5.	5054-80-190-99 हरियाणा रेल अवसंरचना विकास के लिए इक्विटी पूंजी	10.00
	कुल	182.50

इन योजनाओं के संपूर्ण बजटीय प्रावधान को पुनर्वियोजित कर दिया गया और इन योजनाओं के तहत कोई भी व्यय नहीं किया गया। संबंधित विभागों द्वारा निधियों के उपयोग न होने के मुख्य कारण परियोजनाओं की कम स्वीकृति/अस्वीकृति, भारत सरकार से प्राप्त निधियों के अनुसार मांग प्राप्तियों की प्राप्ति न होना/व्यय न होना आदि बताए गए।

यह इंगित करता है कि बजटीय आवंटन अवास्तविक प्रस्तावों पर आधारित थे और अवसंरचना के निर्माण/खरखाव पर प्रस्तावित व्यय से मिलने वाले इच्छित लाभों से वंचित कर दिया।

2.5.7 त्रैमासिक व्यय सीमा का अनुपालन न करना

सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 62(3) में प्रावधान है कि विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में व्यय की तीव्रता को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है और इससे बचा जाना चाहिए।

व्यय की स्थिर गति बनाए रखना सुदृढ़ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह राजकोषीय असंतुलन और अस्थायी नकदी संकट को रोकता है। राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से व्यय को विनियमित करने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान व्यय करने के लिए

²⁵ क्रम संख्या 6, 7, 8, 14.

²⁶ क्रम संख्या 9, 10, 16.

तिमाही-वार प्रतिशत (पहली तिमाही-25 प्रतिशत; दूसरी तिमाही-20 प्रतिशत; तीसरी तिमाही-25 प्रतिशत; चौथी तिमाही-30 प्रतिशत) निर्धारित किया है।

नीचे दी गई **तालिका 2.11** और **चार्ट 2.7** के विश्लेषण से पता चलता है कि चौथी तिमाही के दौरान राज्य सरकार का व्यय 28.96 प्रतिशत रहा, जो कि 30 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर था।

तालिका 2.11: वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय की तीव्रता

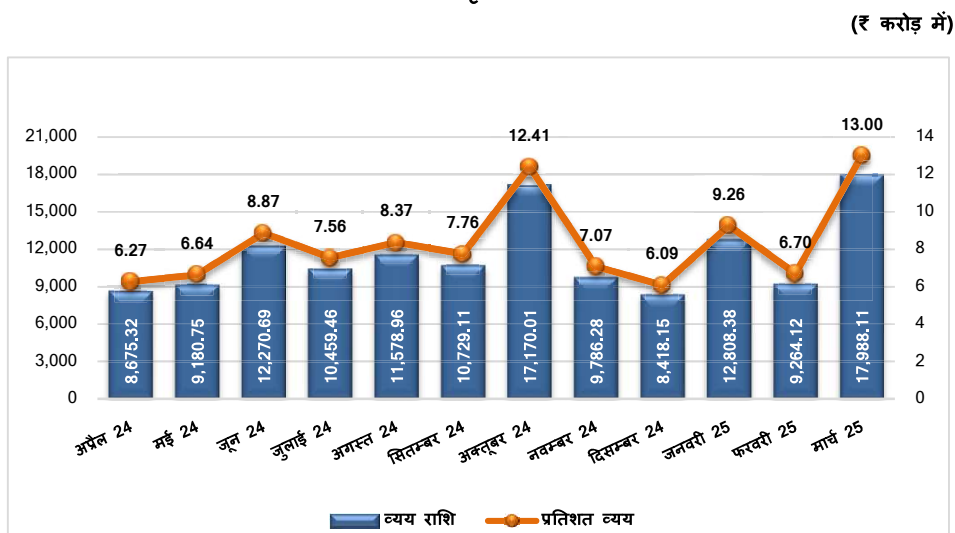
	राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष में कुल व्यय का प्रतिशत
वर्ष की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च 2025)	40,061	28.96
वर्ष का अंतिम महीना (मार्च 2025)	17,988	13.00

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल मासिक प्राप्तियाँ (राजस्व प्राप्तियाँ, पूँजीगत प्राप्तियाँ और नकदी शेष) और व्यय की प्रवृत्ति **चार्ट 2.6** और **चार्ट 2.7** में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.6: प्राप्तियों का प्रवृत्ति विश्लेषण (माह-वार)



चार्ट 2.7: व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण (माह-वार)



वित्तीय विश्लेषण ₹ 1,38,329.34 करोड़ के कुल व्यय को दर्शाता है, जिसमें महत्वपूर्ण मासिक भिन्नताएं देखी गई हैं। यह व्यय अप्रैल 2024 में ₹ 8,765 करोड़ से मार्च 2025 में ₹ 17,988 करोड़ के चरम स्तर तक रहा। खर्च का यह पैटर्न पूरे वर्ष काफी अस्थिरता को दर्शाता है, जिसमें औसत मासिक व्यय ₹ 11,527 करोड़ रहा। विशेष रूप से, मार्च 2025 में हुआ खर्च कुल वार्षिक व्यय का 13 प्रतिशत है, जो किसी भी एक महीने में होने वाला सर्वाधिक व्यय है। इसके अतिरिक्त, चार्ट सामयिक प्रवृत्तियों को भी दर्शाता है, जिसमें अक्टूबर 2024 में ₹ 17,170 करोड़ (12.41 प्रतिशत) का एक और असामान्य उछाल देखा गया, जो व्यय व्यवहार में संभावित चक्रीय पैटर्न का संकेत देता है।

20 अनुदानों के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-वार व्यय की आगे की जांच से पता चला है कि वर्ष की चौथी तिमाही के लिए 30 प्रतिशत की निर्धारित सीमा की तुलना में, व्यय 31.10 प्रतिशत और 100 प्रतिशत (16 अनुदानों के लिए 46 मुख्य शीर्षों के तहत) के बीच था, जैसा कि **परिशिष्ट 2.14** में बताया गया है। इन मामलों में, वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए ₹ 26,275.87 करोड़ के व्यय में से ₹ 7,698.44 करोड़ (29.30 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2025 के महीने के दौरान किया गया था। इस प्रकार, अंतिम तिमाही के लिए 30 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध, केवल एक महीने में 29.30 प्रतिशत और अंतिम तिमाही में कुल 45.63 प्रतिशत व्यय किया गया।

इससे पता चलता है कि राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा सभी तिमाहियों में व्यय के समान प्रवाह के संबंध में वित्त विभाग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 12 के तहत चयनित विभागों के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा

चयनित चार²⁷ विभागों में 26 योजनाओं के तहत ₹ 3,541.80 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 2,004.54 करोड़ (57 प्रतिशत) और महिला एवं बाल विकास विभाग की 16 योजनाओं के तहत ₹ 464.52 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 301.39 करोड़ (65 प्रतिशत) का व्यय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया (जो ₹ दो करोड़ से अधिक और 30 प्रतिशत से ऊपर है)। इसके अतिरिक्त, चार²⁸ विभागों में ₹ 1,350.17 करोड़ (38 प्रतिशत) और महिला एवं बाल विकास विभाग में ₹ 237.86 करोड़ (51 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2025 के महीने के दौरान किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.15** में विस्तृत विवरण दिया गया है। अंतिम तिमाही में विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय करना, अपर्याप्त बजटीय निगरानी और नियंत्रण को इंगित करता है।

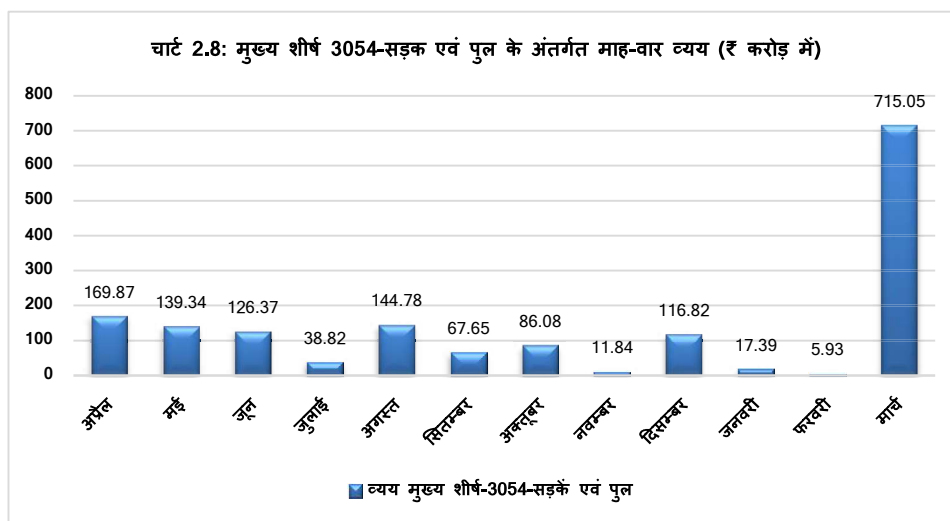
मामले को संबंधित विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था (जुलाई 2025)। शिक्षा विभाग (प्राथमिक) ने बताया (जुलाई 2025) कि वर्ष की चौथी तिमाही में व्यय की अधिकता वित्त विभाग द्वारा फरवरी 2025 में कैपिंग सीमा में ढील देने और सत्र 2024-25 के लिए चौथी तिमाही में दूसरी और तीसरी किस्तें जारी करने के कारण थी। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभागों के उत्तर प्रतीक्षित हैं (अक्टूबर 2025)।

²⁷ (i) प्राथमिक शिक्षा विभाग, (ii) माध्यमिक शिक्षा विभाग, (iii) उच्च शिक्षा विभाग और (iv) तकनीकी शिक्षा विभाग।

²⁸ (i) प्राथमिक शिक्षा विभाग, (ii) माध्यमिक शिक्षा विभाग, (iii) उच्च शिक्षा विभाग और (iv) तकनीकी शिक्षा विभाग।

अनुदान संख्या 17 के तहत चयनित विभागों के बजट और व्यय की योजना-वार समीक्षा

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) की पांच योजनाओं के तहत ₹ 238.11 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 123.84 करोड़ (52 प्रतिशत) और परिवहन विभाग की दो योजनाओं के तहत ₹ 242.34 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 215.18 करोड़ (89 प्रतिशत) का व्यय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया (जो ₹ दो करोड़ से अधिक और 30 प्रतिशत से अधिक है)। इसके अतिरिक्त, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) में ₹ 28.96 करोड़ (12 प्रतिशत) और परिवहन विभाग में ₹ 127.17 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय मार्च 2025 के महीने के दौरान किया गया, जैसा कि **परिशिष्ट 2.16** में विवरण दिया गया है। अंतिम तिमाही, विशेष रूप से मार्च के महीने में व्यय करना, कमजोर बजटीय निगरानी और नियंत्रण को दर्शाता है।



स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा का कार्यालय

2.6 एकल नोडल एजेंसी

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के लिए एक एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) के माध्यम से प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत अनिवार्य रूप से निधियां जारी करने और उनके उपयोग की निगरानी करने का आदेश दिया (मार्च 2021)। प्रत्येक एकल नोडल एजेंसी का एक अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक समर्पित बैंक खाता होना अनिवार्य है। राज्य सरकार को प्राप्त केंद्रीय हिस्से को संबंधित राज्य के हिस्से के साथ संबंधित एकल नोडल एजेंसी के खाते में अंतरित करना अपेक्षित है।

राज्य सरकार के अनुसार, वर्ष के दौरान उसके ट्रेजरी खाते में केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 2,372.74 करोड़ प्राप्त हुए थे। 31 मार्च 2025 तक, राज्य सरकार ने ₹ 2,254.81 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹ 4,175.71 करोड़ का राज्य का हिस्सा एकल नोडल एजेंसियों को अंतरित कर दिया था। ₹ 6,430.52 करोड़ के कुल हस्तांतरण में से ₹ 20.84 करोड़ सार आकस्मिक बिलों के माध्यम से, ₹ 3,262.64 करोड़ सहायता अनुदान बिलों के माध्यम से, ₹ 3,147.04 करोड़ पूर्णतः प्रमाणित आकस्मिक बिलों के माध्यम से अंतरित किए गए थे। तथापि, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को संबंधित एकल नोडल एजेंसियों

से वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे, जिनके अभाव में लेखापरीक्षा में उपयोग की सीमा की जांच नहीं की जा सकी।

केंद्रीय हिस्सा ₹ 2,372.74 करोड़ की तुलना में, अंतरण ₹ 2,254.81 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 117.93 करोड़ का कम अंतरण हुआ और इस प्रकार इस सीमा तक नकद शेष को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया। हालांकि, पीएफएमएस-एसएनए पोर्टल की एसएनए 01 रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार ने एकल नोडल एजेंसियों को ₹ 1,878.51 करोड़ का केंद्रीय हिस्सा और ₹ 1,687.43 करोड़ का राज्य अंश अंतरित किया। राज्य सरकार द्वारा सूचित आंकड़ों और पीएफएमएस-एसएनए की एसएनए-01 रिपोर्ट के बीच के अंतर का मिलान किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया और एसएनए की रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक एकल नोडल एजेंसियों के बैंक खातों में ₹ 1,006.30 करोड़ खर्च किए बिना पड़े थे।

2.7 एकल नोडल एजेंसी-स्पर्श

वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकारों को एसएनए-स्पर्श मॉडल के तहत एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते में निधियों के केंद्र और राज्य दोनों हिस्से को अंतरित करना अपेक्षित है। तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राज्य अभी भी अंतरण के लिए विभिन्न तरीके अपना रहा है, जैसे कि सहायता अनुदान (जीआईए) बिल, सार आकस्मिक (एसी) बिल और पूर्णतः प्रमाणित आकस्मिक बिल। इसके अतिरिक्त, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को एसएनए से वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए थे।

एसएनए-स्पर्श मॉडल के तहत, प्रत्येक राज्य को केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अनुरूप प्रत्येक राज्य-संबद्ध योजना के कार्यान्वयन के लिए एक एसएनए नामित करना आवश्यक है और सभी निधियां विशेष रूप से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से जारी की जानी चाहिए। ऑनबोर्ड होने पर, वर्तमान एसएनए खातों को बंद कर दिया जाना चाहिए और अव्ययित शेष राशि में से केंद्रीय हिस्से को भारत की समेकित निधि में तथा राज्य के अंश को संबंधित राज्य की समेकित निधि में वापस कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सभी एसएनए और कार्यान्वयन एजेंसियों का राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) में पंजीकृत होना अनिवार्य है और नकदी प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए, निधियों को व्यक्तिगत जमा (पीडी) खातों या अन्य मध्यस्थ खातों के माध्यम से भेजे बिना, सीधे लाभार्थियों या विक्रेताओं को आवश्यकतानुसार तत्काल आधार पर जारी किया जाना है।

हरियाणा में, 31 मार्च 2025 तक एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग के लिए कुल 33 सीएसएस {72 राज्य से जुड़ी योजनाओं (एसएलएस) के साथ} की पहचान की गई है। इनमें से 16 सीएसएस (47 एसएलएस) को पहले ही सफलतापूर्वक शामिल किया जा चुका है, जो माइग्रेशन प्रक्रिया में पर्याप्त प्रगति का संकेत देता है।

हालांकि, 31 मार्च 2025 तक 11 सीएसएस (14 एसएलएस) को अभी तक शामिल नहीं किया गया है और वे विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर लंबित हैं, जो राज्य के विभागों और संबंधित

मंत्रालयों के बीच निरंतर समन्वय की आवश्यकता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2025 तक ऐसे छः सीएसएस (11 एसएलएस) की पहचान की गई है जो एसएनए-स्पर्श मॉडल के दायरे से बाहर हैं।

मंत्रालय के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने और एसएनए-स्पर्श के तहत निर्बाध निधि प्रवाह प्रबंधन प्राप्त करने के लिए शेष योजनाओं को शीघ्र माइग्रेशन के लिए प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

2.8 चयनित अनुदानों की विस्तृत समीक्षा में पाए गए अन्य मामले

2.8.1 अनुदान संख्या 12 की समीक्षा

अनुदान संख्या 12 के विभिन्न कार्यात्मक शीर्षों के तहत समग्र बजटीय प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत **तालिका 2.12** में दी गई है।

तालिका 2.12: अनुदान संख्या 12 के तहत बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति		मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
राजस्व	दत्तमत	21,277.08	460.22	21,737.30	19,815.56	(-) 1,921.74 (9)
पूंजीगत ²⁹	दत्तमत	1,780.70	3.00	1,783.70	1,162.29	(-) 621.41 (35)
कुल योग		23,057.78	463.22	23,521.00	20,977.85	(-) 2,543.15 (11)

स्रोत: विनियोग लेखा।

अनुदान संख्या 12 के तहत, चार³⁰ मुख्य शीर्ष शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी) से संबंधित हैं, जबकि तीन³¹ मुख्य शीर्ष महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित हैं।

इन चयनित विभागों की समीक्षा के दौरान सामने आए लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(i) बजट और व्यय

पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के लिए चयनित विभागों³²/शीर्षों के विभिन्न कार्यात्मक शीर्षों के तहत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति **तालिका 2.13** में दी गई है।

²⁹ मुख्य शीर्ष 6202 के तहत शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए ऋण शामिल हैं।

³⁰ 2202-सामान्य शिक्षा, 2203-तकनीकी शिक्षा, 4202-शिक्षा पर पूँजीगत परिव्यय और 6202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए ऋण।

³¹ 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, 2236-पोषण, 4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय।

³² (i) प्राथमिक शिक्षा विभाग, (ii) माध्यमिक शिक्षा विभाग, (iii) उच्च शिक्षा विभाग, (iv) तकनीकी शिक्षा विभाग और (v) महिला एवं बाल विकास विभाग।

तालिका 2.13: चयनित विभागों का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय की प्रकृति	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-) (प्रतिशत में)	सरेंडर की गई राशि
प्राथमिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग और (v) महिला एवं बाल विकास विभाग							
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	18,462.72	1,705.60	20,168.32	17,652.59	(-) 2,515.73 (12)	2,733.05
	पूँजीगत ³³ (दत्तमत)	1,698.32	30.00	1,728.32	937.13	(-) 791.19 (46)	890.97
2023-24	राजस्व (दत्तमत)	19,151.37	129.09	19,280.46	16,450.37	(-) 2,830.09 (15)	2,760.05
	पूँजीगत ³³ (दत्तमत)	1,200.40	942.36	2,142.76	1,651.28	(-) 491.48 (23)	485.88
2024-25	राजस्व (दत्तमत)	19,428.84	266.95	19,695.79	18,203.80	(-) 1,491.99 (8)	1,759.17
	पूँजीगत ³³ (दत्तमत)	1,560.18	0	1,560.18	1,100.56	(-) 459.62 (29)	523.01
महिला एवं बाल विकास विभाग							
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	1,867.38	60.46	1,927.84	1,394.39	(-) 533.45 (28)	411.63
	पूँजीगत (दत्तमत)	151.86	0	151.86	70.12	(-) 81.74 (54)	83.57
2023-24	राजस्व (दत्तमत)	1,923.75	67.89	1,991.64	1,388.68	(-) 602.96 (30)	547.11
	पूँजीगत (दत्तमत)	123.00	24.73	147.73	37.61	(-) 110.12 (75)	120.64
2024-25	राजस्व (दत्तमत)	1,813.22	193.27	2,006.49	1,599.46	(-) 407.03 (20)	200.72
	पूँजीगत (दत्तमत)	125.52	3.00	128.52	61.73	(-) 66.79 (52)	77.88

चयनित विभागों के बजट और व्यय के विश्लेषण से पता चला कि:

- 2022-23 से 2024-25 के दौरान, चयनित शिक्षा विभागों³⁴ (मुख्य शीर्ष 2202 और 2203) ने ₹ 1,491.99 करोड़ (8 प्रतिशत) और ₹ 2,830.09 करोड़ (15 प्रतिशत) के बीच अप्रयुक्त बजट प्रावधान/बचत दर्ज की। इसी प्रकार, महिला एवं बाल विकास विभाग (मुख्य शीर्ष 2235 और 2236) ने इसी अवधि के लिए ₹ 407.03 करोड़ (20 प्रतिशत) और ₹ 602.96 करोड़ (30 प्रतिशत) के बीच बचत की सूचना दी।
- राजस्व सेक्शन के तहत, कुल बचत में से, चयनित विभागों (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी शिक्षा मुख्य शीर्ष 2202 और 2203) के तहत में ₹ 70.04 करोड़ (2023-24) और महिला एवं बाल विकास विभाग (मुख्य शीर्ष 2235 और 2236) में ₹ 121.82 करोड़ (2022-23), ₹ 55.85 करोड़ (2023-24), ₹ 206.31 करोड़ (2024-25) की राशि बिना सरेंडर किए रह गई। इसके अतिरिक्त, चयनित विभागों (मुख्य शीर्ष 4202 और 6202 के तहत प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी शिक्षा) ने 2022-23 में ₹ 217.32 करोड़ और 2024-25 में ₹ 267.18 करोड़ की राशि उपलब्ध बचत से अधिक सरेंडर की।
- 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान, राजस्व सेक्शन के तहत अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक हो गए, क्योंकि दोनों चयनित विभागों में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुंच पाया।
- पूँजीगत सेक्शन में, 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान चयनित विभागों (मुख्य शीर्ष 4202 और 6202 के तहत प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी शिक्षा) ने ₹ 459.62 करोड़ और ₹ 791.19 करोड़ के बीच बचत दर्ज की, जबकि महिला एवं

³³ इसमें अनुदान संख्या 12 के मुख्य शीर्ष 6202 के तहत केवल शिक्षा विभाग के लिए ऋण शामिल हैं।

³⁴ प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग।

बाल विकास विभाग (मुख्य शीर्ष 4235) ने ₹ 66.79 करोड़ और ₹ 110.12 करोड़ के बीच बचत दर्ज की।

संबंधित विभागों द्वारा बचत के लिए बताए गए प्राथमिक कारण रिक्त पदों को न भरना, मांग/दावों की अप्राप्ति या कम प्राप्ति, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, प्रस्तावों को अंतिम रूप न देना, सामान की कम खरीद, आदि थे।

(ii) आवंटन की तुलना में बचत

वित्त विभाग, हरियाणा द्वारा 2024-25 के लिए बजट अनुमान तैयार करने के लिए पत्र संख्या 2/5/2023-1बीएंडसी दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार, योजना-वार बजट प्रस्ताव वास्तविक होने चाहिए और विभाग की संभावित न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती वर्षों के वास्तविक व्यय के आधार पर तैयार किए जाने चाहिए।

चयनित विभागों³⁵ के योजना बजट और व्यय की समीक्षा से पता चला कि 31 योजनाओं में, ₹ 1,352.29 करोड़ के बजट प्रावधान की तुलना में ₹ 368.17 करोड़ (27 प्रतिशत) का व्यय किया गया था, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने ₹ 648.25 करोड़ के बजट प्रावधान की तुलना में 19 योजनाओं में ₹ 167.56 करोड़ (26 प्रतिशत) खर्च किए (परिशिष्ट 2.17)। इसके अतिरिक्त, इन 50 योजनाओं में से 37 योजनाओं में उनके आवंटित बजट की तुलना में 50 प्रतिशत से अधिक की बचत दर्ज की गई।

विभागों ने इन बचतों के लिए कई कारकों को उत्तरदायी ठहराया, जिनमें कार्यों को अंतिम रूप न देना, कम मांग, भारत सरकार से अनुदान में कटौती/अनुदान की अप्राप्ति, विभागीय प्रस्तावों को स्वीकृति न मिलना, नई शुरु की गई योजनाओं के तहत कम मांग, क्षेत्रीय कार्यालयों से पिछले वर्ष के उपयोग प्रमाण पत्र लंबित होना, निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी आदि शामिल हैं।

विभागों ने न केवल पंजाब बजट मैनुअल और वित्त विभाग द्वारा निर्धारित बजटीय नियंत्रणों की अनदेखी की, बल्कि राज्य के बजट पर समग्र निगरानी और वित्तीय नियंत्रण रखने में भी विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विकास उद्देश्यों के लिए निधियों से वंचित होना पड़ा।

(iii) वर्ष के अंत में निधियां जारी होने से उनका उपयोग न हो पाना

पंजाब वित्तीय नियमावली खंड-1 का नियम 2.10 (ख) 5 यह प्रावधान करता है कि व्यय करने वाले प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तब तक सरकारी खजाने से कोई पैसा न निकाला जाए जब तक कि वह तत्काल संवितरण के लिए आवश्यक न हो या स्थायी अग्रिम से पहले ही भुगतान न किया जा चुका हो। सरकारी खजाने से ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए अग्रिम राशि आहरित करना अनुमत नहीं है, जिनके पूरा होने में काफी समय लगने की संभावना हो।

अनुदान संख्या 12 के तहत शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पीएम श्री योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और विविध निर्माण कार्यों के

³⁵ प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग।

लिए ₹ 108.47 करोड़ की राशि (जुलाई 2024 से फरवरी 2025 के दौरान) स्वीकृत की गई थी। यह राशि वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अंत (दिनांक 30/31 मार्च 2025) में खजाने से आहरित की गई और राज्य परियोजना निदेशक (एसपीडी), हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद (एचएसएसपीपी) को अंतरित कर दी गई।

प्राथमिक शिक्षा विभाग ने उत्तर दिया कि बिल समय पर जमा कर दिए गए थे, लेकिन खजाने द्वारा मार्च 2025 के अंत में जारी किए गए। हालांकि, खजाने द्वारा बिलों को रोकने के कारण नहीं बताए गए। वर्ष के अंत में निधियां जारी करने से निधियों के समय पर उपयोग का उद्देश्य विफल हो जाता है।

(iv) वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना बैंक खाते संचालित करना

वित्त विभाग³⁶ द्वारा मई 2024 में जारी निर्देशों के अनुसार, विभागाध्यक्ष द्वारा उनके (पदनाम) या विभाग में कार्यरत किसी अन्य अधिकारी के नाम (पदनाम) से संचालित किए जा रहे सभी बैंक खातों को तत्काल बंद करना था और उक्त बैंक खाते में पड़ी राशि को राज्य के खजाने में जमा करना था, जब तक कि 1 अप्रैल 2014 के बाद वित्त विभाग द्वारा इसके लिए विशेष अनुमति न दी गई हो।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना एक बैंक खाता संचालित किया जा रहा है, जो वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है, जैसा कि तालिका 2.14 में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.14: बैंक खाते का विवरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	बैंक खाता नंबर	योजना का नाम	खाते की प्रकृति	31 मार्च 2025 को शेष राशि
1	एचडीएफसी	50100467147689	किशोर न्याय निधि	बचत	3,06,86,541

मामला विभाग को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया था (जुलाई 2025)। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2025)।

(v) निधियों को रखना

अनुदान संख्या 12-महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला कि 31 मार्च 2025 तक निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग के 17 एसएनए/बैंक खातों में ₹ 169.50 करोड़ की राशि पड़ी थी (परिशिष्ट 2.18)।

मामले को विभाग के संज्ञान में उनकी टिप्पणियों के लिए लाया गया था। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2025)।

(vi) एकल नोडल खाता खोलने में विलंब

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत निधियां जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में कार्यालय ज्ञापन, फाइल संख्या 1(13)/पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23 मार्च 2021 के माध्यम से निर्देश जारी किए थे। ये निर्देश 1 जुलाई 2021

³⁶ वित्त विभाग, हरियाणा सरकार का पत्र संख्या 28/21/2012-5बी एंड सी दिनांक 29-05-2014

से प्रभावी हुए। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पुनः निर्देश जारी किए थे (मार्च 2022), जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का अनुदान जारी करने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि 31 मार्च 2022 तक राज्य को जारी की गई केंद्र प्रायोजित योजनाओं की निधि के केंद्रीय हिस्से का पूरा अनुदान एकल नोडल खाते (एसएनए) में अंतरित कर दिया गया है और उसके समानुपाती राज्य के पूर्ण हिस्से को भी एकल नोडल खाते में जमा कर दिया गया है। एकल नोडल खाते में अर्जित ब्याज को भारत की समेकित निधि में जमा कर दिया गया है। एकल नोडल खाते के बैंक खातों में उपलब्ध निधियां, 2022-23 में किसी राज्य को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत जारी किए जाने वाली राशि के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार ने 10 सरकारी पॉलिटेक्निक के लिए पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (सीडीटीपी) घटक के तहत हरियाणा राज्य (तकनीकी शिक्षा विभाग) को सीएसएस अनुदान के रूप में ₹ एक करोड़ स्वीकृत किए (जून 2021)। आगामी वर्षों के लिए आवर्ती वित्तीय सहायता पिछले वर्ष के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद देय थी। यह देखा गया कि विभाग द्वारा एकल नोडल खाता 28 फरवरी 2024 को खोला गया था, जबकि अनुदान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ही जारी कर दिया गया था। अनुदान की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ₹ एक करोड़ में से, ₹ 70.93 लाख (73.93 प्रतिशत) की अव्ययित राशि विभाग द्वारा फरवरी 2024 और मार्च 2025 के बीच एकल नोडल खाते में जमा की गई थी। निधियों के इस कम उपयोग के कारण, विभाग को वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद सीडीटीपी योजना के तहत कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप एसएनए खाते में पर्याप्त अव्ययित राशि शेष रह गई।

(vii) अनुदान पर अर्जित ब्याज को सरकारी खातों में जमा न करना

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्देश दिया (मार्च 2022) कि जारी की गई निधियों से अर्जित ब्याज को सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर), 2017 के नियम 230(8) के अनुसार आनुपातिक आधार पर संबंधित समेकित निधियों में अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाना चाहिए।

11 जुलाई 2025 तक 16 एकल नोडल खातों में ₹ 18.09 करोड़ की ब्याज राशि प्राप्त हुई है। ₹ 18.09 करोड़ में से, सरकारी अनुदानों पर अर्जित ब्याज का केवल ₹ 7.49 करोड़ विभाग द्वारा संबंधित समेकित निधि में प्रेषित किया गया था, जैसा कि **तालिका 2.15** में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.15: सरकारी खाते में क्रेडिट किए गए और जमा किए गए ब्याज का विवरण

क्र. सं.	योजना का नाम	(11 जुलाई 2025 तक) (₹ लाख में)		
		एसएनए में जमा कुल ब्याज	केंद्रीय हिस्से के रूप में जमा ब्याज	ब्याज की शेष राशि
1.	आंगनवाड़ी केंद्र का उन्नयन/निर्माण	76.44	17.76	58.68
2.	आंगनवाड़ी सेवाएं	445.52	184.33	261.19
3.	अनुसूचित जाति की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को वित्तीय सहायता	30.99	18.45	12.54
4.	पूरक पोषण कार्यक्रम	371.71	101.93	269.78
5.	अनुसूचित जातियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम	27.06	13.29	13.77
6.	किशोरियों के लिए योजना	5.11	1.01	4.10
7.	पोषण अभियान के लिए योजना	134.07	70.04	64.03
8.	एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का नाम बदलकर मिशन वात्सल्य कर दिया गया	253.54	105.12	148.42
9.	गैर-संस्थागत/देखभाल प्रायोजन/पालक देखभाल/पश्चात्तर्ती देखभाल	2.21	0.00	2.21
10.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना	17.73	0.79	16.94
11.	महिला हेल्पलाइन	1.36	0.55	0.81
12.	महिलाओं के लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर	8.02	2.97	5.05
13.	महिला शक्ति केंद्र का नाम बदलकर महिला सशक्तिकरण केंद्र किया गया	44.42	28.65	15.77
14.	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	348.73	203.76	144.97
15.	हरियाणा राज्य क्रेच योजना (पालना)	39.95	0.00	39.95
16.	आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह (पालना)	2.04	0.00	2.04
कुल		1,808.90	748.65	1,060.25

मामले को विभाग के संज्ञान में उनकी टिप्पणियों के लिए लाया गया था। उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2025)।

2.8.2 अनुदान संख्या 17 की समीक्षा

अनुदान संख्या 17 के विभिन्न कार्यात्मक शीर्षों के तहत समग्र बजटीय प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत **तालिका 2.16** में दी गई है।

तालिका 2.16: अनुदान संख्या 17 के तहत बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल प्रावधान	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (प्रतिशत में)
राजस्व					
दत्तमत	5,336.17	787.70	6,123.87	5,750.69	(-) 373.18 (6)
भारित	0.05	0.00	0.05	0.00	(-) 0.05 (100)
पूँजीगत ³⁷					
दत्तमत	5,191.56	22.60	5214.16	3,287.61	(-) 1,926.55 (37)
भारित	80.00	0.00	80.00	72.88	(-) 7.12 (9)
कुल योग	10,607.78	810.30	11,418.08	9,111.18	(-) 2,306.90 (20)

स्रोत: विनियोग लेखा।

अनुदान संख्या 17 के तहत, दो³⁸ मुख्य शीर्ष लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) से संबंधित हैं, जबकि दो³⁹ मुख्य शीर्ष परिवहन विभाग से संबंधित हैं।

³⁷ इसमें मुख्य शीर्ष 6202 के तहत शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति के लिए ऋण शामिल हैं।

³⁸ 3054-सड़कें और पुल, 5054-सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय।

³⁹ 3055-सड़क परिवहन, 5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय।

इन दो चयनित विभागों की समीक्षा के दौरान सामने आए लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

(i) बजट और व्यय

पिछले तीन वर्षों (2022-23 से 2024-25) के लिए दो चयनित विभागों के विभिन्न कार्यात्मक शीर्षों के तहत बजट प्रावधानों, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति तालिका 2.17 में दी गई है।

तालिका 2.17: चयनित विभागों का बजट और व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय की प्रकृति	मूल	अनुपूरक	कुल	व्यय	आधिक्य (+)/बचत (-) (प्रतिशत में)	सरेंडर की गई राशि
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)							
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	1,033.01	43.00	1,076.01	650.37	(-) 425.64 (40)	107.83
	पूँजीगत (दत्तमत)	2,040.37	0.00	2,040.37	3,657.38	(+) 1,617.01 (179)	0.00
	पूँजीगत (भारित)	50.00	0.00	50.00	28.70	(-) 21.30 (43)	20.15
2023-24	राजस्व (दत्तमत)	1,530.81	500.00	2,030.81	1,346.26	(-) 684.55 (34)	626.63
	पूँजीगत (दत्तमत)	2,505.00	693.28	3,198.28	2,610.92	(-) 587.36 (18)	586.11
	पूँजीगत (भारित)	50.00	100.00	150.00	133.55	(-) 16.45 (11)	15.29
2024-25	राजस्व (दत्तमत)	1,133.91	420.00	1,553.91	1,639.94	(+) 86.03 (106)	(आर) 91.79
	पूँजीगत (दत्तमत)	2,987.00	17.60	3,004.60	2,347.01	(-) 657.59 (22)	687.66
	पूँजीगत (भारित)	80.00	0.00	80.00	72.88	(-) 7.12 (9)	9.83
परिवहन विभाग							
2022-23	राजस्व (दत्तमत)	2,470.55	318.66	2,789.21	2,412.77	(-) 376.44 (13)	485.74
	पूँजीगत (दत्तमत)	281.56	350.00	631.56	447.19	(-) 184.37 (29)	251.32
2023-24	राजस्व (दत्तमत)	2,978.71	0.00	2,978.71	2,574.54	(-) 404.17 (14)	497.23
	पूँजीगत (दत्तमत)	402.55	0.00	402.55	371.94	(-) 30.61 (8)	30.61
2024-25	राजस्व (दत्तमत)	2,925.36	87.70	3,013.06	2,827.47	(-) 185.59 (6)	345.63
	पूँजीगत (दत्तमत)	401.55	0.00	401.55	136.65	(-) 264.90 (66)	362.54

दो चयनित विभागों के बजट और व्यय के विश्लेषण से पता चला कि:

- राजस्व सेक्शन के तहत, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) ने 2022-23 में ₹ 425.64 करोड़ और 2023-24 में ₹ 684.55 करोड़ के अप्रयुक्त बजट प्रावधान/बचत दर्ज किए, लेकिन 2024-25 के दौरान ₹ 86.03 करोड़ से अधिक का व्यय किया गया। परिवहन विभाग ने 2022-25 की अवधि के दौरान ₹ 185.59 करोड़ (छ: प्रतिशत) और ₹ 404.17 करोड़ (14 प्रतिशत) के बीच बचत की सूचना दी।
- राजस्व सेक्शन के तहत, कुल बचत में से लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) में ₹ 317.81 करोड़ (2022-23), ₹ 57.92 करोड़ (2023-24) की राशि बिना सरेंडर किए रह गई। हालांकि, परिवहन विभाग ने 2022-25 के दौरान उपलब्ध बचत से अधिक ₹ 93.06 करोड़ से ₹ 160.04 करोड़ के बीच की राशि सरेंडर कर दी।
- राजस्व सेक्शन के तहत, दोनों विभागों में वर्ष 2022-23 के दौरान, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) में वर्ष 2023-24 के दौरान और परिवहन विभाग में वर्ष 2024-25 के दौरान पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि दोनों चयनित विभागों में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुंच पाया। दूसरी ओर,

वर्ष 2024-25 में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ₹ 420 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान पर्याप्त नहीं था।

- पूँजीगत सेक्शन में, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा वर्ष 2022-23 में ₹ 1,617.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया और वर्ष 2023-24 में ₹ 587.36 करोड़ और ₹ 657.59 करोड़ की बचत दर्ज की गई। परिवहन विभाग ने 2022-23 से 2024-25 की अवधि के दौरान ₹ 30.61 करोड़ से ₹ 264.90 करोड़ के बीच बचत दर्ज की।

इसके अतिरिक्त, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) के कार्यालय में अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि चार योजनाओं⁴⁰ में बजट आवंटन के लिए कोई प्रारंभिक मांग प्रस्तुत नहीं की गई थी, लेकिन वित्त विभाग द्वारा बजट 2024-25 में ₹ 92 करोड़ की राशि आवंटित की गई थी; ₹ 92 करोड़ के बजट प्रावधान का स्पष्टीकरण करने वाला कोई भी सहायक अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। संयोगवश, ₹ 92 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 1.27 करोड़ ही खर्च किए गए।

योजनाओं की समीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि **तालिका 2.18** (क्रम संख्या 1 से 4) में दी गई चार योजनाओं में ₹ 1,720 करोड़ के विभागीय प्रस्ताव के विरुद्ध, वित्त विभाग ने केवल ₹ 1,210 करोड़ आवंटित किए, जबकि वास्तविक व्यय ₹ 1,453.92 करोड़ था। इसके अतिरिक्त, तीन योजनाओं (क्रम संख्या 5 से 7) में विभागीय प्रस्ताव वास्तविक नहीं था, क्योंकि ₹ 90.65 करोड़ के बजट प्रस्ताव के विरुद्ध वास्तविक व्यय केवल ₹ 13.88 करोड़ ही हुआ।

तालिका 2.18: विभागीय बजट प्रस्तावों के विरुद्ध आवंटित बजट

क्र. सं.	योजना का नाम	विभागीय बजट प्रस्ताव	वित्त विभाग द्वारा आवंटित बजट	वास्तविक व्यय
विभागीय बजट प्रस्तावों को कम किया गया लेकिन आवंटित बजट से अधिक खर्च किया गया				
1.	3054-04-337-98 ग्रामीण सड़कें	900.00	710.00 ⁴¹	841.23
2.	3054-04-337-99 जिला सड़कें	300.00	100.00 ⁴²	112.76
3.	5055-03-101-81-99 राज्य योजना के तहत पुलों और रेलवे ओवर ब्रिजों का निर्माण	80.00	50.00	93.85
4.	5055-03-337-88-99 राज्य योजना के लिए सड़कों का निर्माण सुदृढीकरण/चौड़ीकरण और सुधार	440.00	350.00	406.08
	कुल	1,720.00	1,210.00	1,453.92
विभागीय बजट प्रस्तावों को कम किया गया लेकिन आवंटित बजट के एक कम हिस्से का उपयोग किया गया				
5.	3054-01-337-98 हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए टोल प्रभारों में राहत	0.20	0.10	शून्य
6.	3054-01-337-99 राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का रखरखाव और मरम्मत	0.45	0.30	0.02
7.	5054-04-789-99-99 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण/विशेष मरम्मत के तहत राज्य का अंशदान	90.00	70.00	13.86
	कुल	90.65	70.40	13.88

⁴⁰ (i) हरियाणा में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए राज्य का हिस्सा, (ii) अंबाला सर्कल सीएफसी (एसएफसी) में ग्रामीण सड़कों का रखरखाव और उन्नयन (iii) हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम को निवेश इक्विटी पूंजी, (iv) राष्ट्रीय आवास बैंक के शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) के तहत शहरी अवसंरचना का निर्माण।

⁴¹ मूल बजट: ₹ 400 करोड़ + अनुपूरक: ₹ 310 करोड़।

⁴² मूल बजट: ₹ 40 करोड़ + अनुपूरक: ₹ 60 करोड़।

(ii) आवंटन की तुलना में बचत

चयनित विभागों के बजट और व्यय की समीक्षा से पता चला कि लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) ने ₹ 1,166.19 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध 15 योजनाओं में ₹ 523.53 करोड़ (45 प्रतिशत) का व्यय किया, जबकि परिवहन विभाग ने ₹ 655.69 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध चार योजनाओं में ₹ 339.78 करोड़ (52 प्रतिशत) खर्च किए **(परिशिष्ट 2.19)**। इसके अतिरिक्त, इन 19 योजनाओं में से आठ योजनाओं में उनके आवंटित बजट के विरुद्ध 50 प्रतिशत से अधिक की बचत दर्ज की गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि बजट का आवंटन अवास्तविक था।

(iii) सतत बचत

छः योजनाओं (लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें): 4 और परिवहन विभाग: 2) में, कुल प्रावधान के 16 से 100 प्रतिशत के बीच निरंतर बचत हुई, जो 2022-23 से 2024-25 के दौरान संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की अप्राप्ति, अकुशल योजना और अवास्तविक अनुमान का संकेत था; इसका विवरण **परिशिष्ट 2.20** में दिया गया है।

(iv) पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में और राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकृत करना

सरकारी लेखा नियम, 1990 के नियम 30 के अनुसार, वह व्यय जिसके परिणामस्वरूप केवल मूर्त, भौतिक और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, उसे पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) और प्रांतीय मंडल, भिवानी के अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और सुधार पर किए गए ₹ 62.91 करोड़⁴³ के व्यय को पूंजीगत सेक्शन 5054 के बजाय गलत तरीके से राजस्व सेक्शन 3054 के तहत दर्ज किया गया था। ऐसे कार्य सामान्यतः स्थाई सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण या विस्तार का परिणाम होते हैं और इसलिए पूंजीगत व्यय के मानदंडों को पूरा करते हैं।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि पंचकुला में पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव के लिए अप्रैल 2024 में पूंजीगत शीर्ष 5054 से पीएमजीएसवाई एसएनए खाते में ₹ पांच करोड़ अंतरित किए गए थे, जो कि राजस्व व्यय है और इसलिए इसे मुख्य शीर्ष 3054 के तहत दर्ज किया जाना चाहिए था।

(v) दत्तमत व्यय का भारत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202(3) के अनुसार, किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्णयों, डिक्रियों या मध्यस्थों के भुगतान के लिए आवश्यक कोई भी राशि राज्य की समेकित

⁴³ लेखापरीक्षा अवधि के दौरान प्रमुख अभियंता (ईआईसी) का कार्यालय: ₹ 42.60 करोड़ और प्रांतीय मंडल (पीडी) भिवानी: ₹ 20.31 करोड़।

निधि पर भारित होगी। हालांकि, आकस्मिक व्यय जैसे कि कानूनी खर्च या मध्यस्थता के लिए कानूनी फीस 'दत्तमत' प्रकृति के होते हैं न कि 'भारित' प्रकृति के।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2024-25 के दौरान, मध्यस्थता फीस, कानूनी व्यय, परामर्श फीस और संबंधित भुगतानों के लिए मुख्य शीर्ष 5054-80-800-99-51 अनुसंधान एवं विकास (भारित) के तहत ₹ 2.97 करोड़ का व्यय दर्ज किया गया था। अतः, दत्तमत व्यय को भारित के रूप में दर्ज करना नियम के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया था कि विभिन्न जिलों में अस्पताल भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, लोक निर्माण विभाग विश्राम गृहों, स्टाफ क्वार्टरों, स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य भवन अवसंरचना जैसे विभिन्न भवन-संबंधी कार्यों से संबंधित ₹ 2.97 करोड़ में से ₹ 1.19 करोड़ की मध्यस्थता फीस, उपयुक्त भवन-संबंधी मुख्य शीर्षों के बजाय गलत तरीके से मुख्य शीर्ष 5054 (भारित) के तहत दर्ज की गई थी।

2.9 आकस्मिकता निधि

हरियाणा सरकार की आकस्मिकता निधि की स्थापना हरियाणा आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1966 के तहत की गई थी, और राज्य सरकार ने अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए हरियाणा राज्य की आकस्मिकता निधि में धन जमा करने और उससे धन निकालने की अभिरक्षा से जुड़े या उससे संबंधित सभी मामलों को विनियमित करने के लिए हरियाणा आकस्मिकता निधि नियम, 1967 बनाए। जब राज्य विधानमंडल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करता है, तब इस निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है। इस निधि का कॉर्पस ₹ 1,000 करोड़ है।

2.9.1 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

आकस्मिकता निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने के लिए ही दिए जाने चाहिए, जिसे विधानमंडल द्वारा अधिकृत किए जाने तक स्थगित करना अवांछनीय होगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग द्वारा राज्य की योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और सुधार तथा पुलों/रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के संबंध में आकस्मिकता निधि से ₹ 148.93 करोड़ की राशि अग्रिम के रूप में निकाली गई थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.21** में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक इस राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। आकस्मिकता निधि से किए गए व्यय का मुख्य शीर्ष विवरण **तालिका 2.19** में दिया गया है।

तालिका 2.19: आकस्मिकता निधि से किए गए व्यय का मुख्य शीर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	राशि
1	5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	148.93
	कुल	148.93

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लिए गए अग्रिम अनियमित, परिहार्य तथा कमजोर वित्तीय प्रबंधन का संकेत देते हैं, क्योंकि दो योजनाओं में पर्याप्त बजट प्रावधान मौजूद था और व्यय न तो अप्रत्याशित था और न ही आकस्मिक प्रकृति का। गैर-आकस्मिक उद्देश्यों के लिए

आकस्मिकता निधि से निधियों का आहरण और वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी प्रतिपूर्ति न करना, हरियाणा आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

2.10 निष्कर्ष

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल अनुदान और विनियोग के विरुद्ध बजट प्रावधानों का कुल उपयोग 87.05 प्रतिशत रहा। अनुपूरक प्रावधान भी वास्तविक आधार पर नहीं किए गए थे, क्योंकि 23 मामलों में अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक पाए गए। पुनर्विनियोग आदेशों के माध्यम से 37 योजनाओं में प्रावधानों में की गई कटौती (प्रत्येक मामले में ₹ तीन करोड़ से अधिक) अनुचित सिद्ध हुई, क्योंकि इन योजनाओं में अधिक व्यय हुआ। हालांकि, 2024-25 के दौरान प्राधिकार से अधिक कोई अतिरिक्त व्यय नहीं हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित ₹ 1,335.24 करोड़ का अतिरिक्त व्यय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा नियमितीकरण के लिए लंबित है।

2.11 सिफारिशें

1. सरकार बड़ी बचत और अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए संसाधनों की उपलब्धता और व्यय की क्षमता के सही आकलन के साथ वास्तविक बजट अनुमान तैयार करे।
2. सरकार अनुपूरक प्रावधानों की तैयारी में बजट मैनुअल के प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन पर विचार करे और अवास्तविक अनुपूरक प्रावधानों से बचने के लिए अनुमान में पारदर्शिता सुनिश्चित करे।